Motion for election of 20 Members of Lok Sabha and 10 Members of Rajya Sabha to the Committee on Welfare of Other Backward Classes

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND MINISTER OF MINORITY AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, I beg to move:

?(1) (a) That a Committee of both the Houses, to be called the Committee on Welfare of Other Backward Classes (OBCs) be constituted, consisting of thirty members, twenty from Lok Sabha and ten from Rajya Sabha, to be elected in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote;

(b) That a Minister shall not be eligible for election as a Member of the Committee and that if a Member after her/his election to the Committee is appointed a Minister, she/he shall cease to be a Member thereof from the date of such appointment;

(c) That the Chairperson of the Committee shall be appointed by the Speaker from amongst the Members of the Committee;

(2) That the functions of the Committee shall be:-

(i) To consider the reports submitted by the National Commission for Backward Classes under Article 338B of the Constitution and to report to both the Houses as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Union Government including the Administrations of the Union Territories;

(ii) To report to both the Houses on the action taken by the Union Government and the Administrations of the Union Territories on the measures proposed by the Committee;

(iii) To examine the measures taken by the Union Government to secure due representation of the Other Backward Classes, particularly the Most Backward Classes, in services and posts under its control (including appointments in the

public sector undertakings, statutory and semi-Government Bodies and in the Union Territories) having regard to the provisions of the Constitution;

(iv) To report to both the Houses on the working of the welfare programmes for the Other Backward Classes in the Union Territories;

(v) To consider generally and to report to both the Houses on all matters concerning the welfare of the Other Backward Classes which fall within the purview of Union Government including the Administrations of Union Territories; and

(vi) To examine such matters as may be deemed fit by the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker.

(3) That the members of the Committee shall hold office for a period of one year from the date of the first meeting of the Committee which shall be reconstituted thereafter for one year at a time according to the procedure described in para (1) above;

(4) That in order to constitute a sitting of the Committee, the quorum shall be ten;

(5) That in all other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make; and

(6) That this House do recommend to the Rajya Sabha that the Rajya Sabha do join in the Committee and communicate to this House the names of Members elected from amongst the Members of the Rajya Sabha to the Committee as mentioned above.?

माननीय अध्यक्ष **:** प्रश्न यह है:

??(1) (क) कि दोनों सभाओं की एक समिति, जिसे अन्य पिछडे वर्गों के कल्याण संबंधी समिति कहा जाएगा, गठित की जाए, जिसमें तीस सदस्य, लोक सभा से बीस और राज्य सभा से दस सदस्य, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के अनुसार निर्वाचित होंगे;

(ख) कि कोई मंत्री समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्ह नहीं होगा और कि कोई सदस्य समिति में अपने निर्वाचन के पश्चात मंत्री नियुक्त हो जाए, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा;

(ग) कि समिति का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा;

(2) कि समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:-

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338 ख के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किये जाने वाले उपायों को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही को दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना;

(तीन) अन्य पिछडा वर्गों, विशेष रूप से अत्यधिक पिछड़ा वर्गों, का विधिवत् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये संविधान के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक और अर्द्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं) संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों की जांच करना;

(चार) संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछडे वर्गों के लिए कल्याण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवदित करना;

(पांच) अन्य पिछडे वर्गों के कल्याण से संबंधित उन सभी मामलों, जो संघ सरकार, जिसमें संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं, के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं, पर सामान्य रूप से विचार करना और दोनों सभाओं को प्रतिवेदित करना; और

(छह) ऐसे अन्य मामलों की जांच करना जो समिति उचित समझे या जो सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जायें ।

(3) कि समिति के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक पदधारण करेंगे जिसे तत्पश्चात उपर्युक्त पैरा (1) में वर्णित प्रकिया के अनुसार एक वर्ष के लिए पुनर्गठित किया जाएगा;

(4) कि समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति दस होगी;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों के संबंध में इस सभा के प्रकिया नियम ऐसी भिन्नताओं और आशोधनों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किए जाएं; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा को यह सिफारिश करे कि राज्य सभा समिति में शामिल हो और इस सभा को यथाउपरोक्त समिति में राज्य सभा के सदस्यों में से चुने गए सदस्यों के नाम सूचित करे ।??

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>11.20 hrs</u>